

Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

11/2/17

प्रकाश लाल (पुत्र) लाल कृष्ण  
कृष्ण हिम

राम प्रसाद कृष्ण / कृष्ण  
कृष्ण प्रकाश लाल (पुत्र) लाल कृष्ण  
मे १०) निवा लाल

प्रकाश प्रकाश कृष्ण प्रकाश  
कृष्ण 20/2/17 कृष्ण

पी. सी. आर्य

सदस्य

द्वि. मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण  
गोहद जिला-मिण्ड (म.प.)

20/2/17

आवेदिकागण द्वारा श्री सुनील कांकर उपस्थित।

प्रकरण आवेदनपत्र पर तर्क/विचार हेतु नियत है।

मूल अभिलेख प्र.क.-एम.जे.सी. 100032/16 श्रीमती  
कलावती आदि बनाम मनोज कुमार आदि में संलग्न है। जो इस  
प्रकरण से भी संबंधित है व नायब नाजिर गोहद से प्रतिवेदन पूर्व  
में ही प्राप्त।

आवेदिकागण अधिवक्ता श्री सुनील कांकर व बीमा कम्पनी  
श्री आर.सी. गुप्ता को अवार्ड राशि आवेदनपत्र पर उभयपक्ष को  
सुना गया। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता को अवार्ड राशि के  
भुगतान पर कोई आपत्ति नहीं।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा  
होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया।

अना. कं.- 3 बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय में  
उक्त अवार्ड राशि के संबंध में अपील प्रस्तुत की जिसमें बीमा  
कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में  
अवार्ड राशि में से 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) रुपये जरिये  
चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.  
-09/16 दिनांक 22-06-16 को नजारत अनुभाग गोहद भेजा  
गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन क्रमांक 08/16 दिनांक  
23-06-16 पर जमा होकर शेष है।

इस न्यायालय द्वारा अवार्ड पारित प्र.क.-54/14 क्लेम  
श्रीमती सुखदेवी आदि - मनोज कुमार आदि खा.क.- 12-02-16

पी. सी. आर्य

सदस्य 20-2-17

Order

का अव  
आवेदिक  
प्रतिशत  
दोनों  
120,0  
लिए  
बैंक

के  
12-  
12  
पू  
के  
है



# Order Sheet [Contd]

MSC/MACC 100033/16

Case No. .... of 20 .....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>का अवलोकन किया, जिससे दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा आवेदिकागण को क्षतिपूर्ति राशि कुल-2,40,000/- रुपये उस पर छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसमें से दोनों आवेदकगण सुखदेवी और कुमारी पूजा के नाम से 1,20,000-1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रुपये की पांच वर्ष के लिए ब्याज की राशि को जोड़ते हुए एफ.डी. के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा किये जाने का आदेश है।</p> <p>अना.क.-03 बीमा कम्पनी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में जमा सुदा अवार्ड राशि 25000/- रुपये को अवार्ड दिनांक 12-02-16 के अनुसार आवेदिका कं.-1 श्रीमती सुखदेवी के नाम से 12,500/- (बारह हजार पांच सौ) रुपये तथा आवेदिका कं.-2 कुमारी पूजा के नाम से 12,500/- (बारह हजार पांच सौ) रुपये की पांच वर्ष के लिए ब्याज की राशि को जोड़ते हुए एफ.डी. के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा किया जावे। उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर. के माध्यम से जमाशुदा राशियों का इस अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता के पूर्व भुगतान न किया जावे। एफ.डी.आर. का ब्याज उसी में परिपक्व होने पर जोड़कर भुगतान किया जावे।</p> <p>अतः आदेश के पालन में आवेदिका कं.-1 श्रीमती सुखदेवी पत्नी स्व. श्री बलवंत कुशवाह निवासी ग्राम व. पोस्ट अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड 12,500/- (बारह हजार पांच सौ) रुपये तथा आवेदिका कं.-2 कुमारी पूजा पुत्री स्व. श्री बलवंत कुशवाह निवासी ग्राम व पोस्ट अमायन थाना अमायन जिला भिण्ड म.प्र. के नाम से 12,500/- (बारह हजार पांच सौ) रुपये की पांच-पांच वर्ष के लिए ब्याज की राशि को जोड़ते हुए एफ.डी. के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा किया जावे।</p> <p>आदेशानुसार पक्षकार के उपस्थित होने पर रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायव नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे। साथ ही बाउचर पर नोट लगाया जावे कि एफ.डी.आर. के माध्यम से जमाशुदा राशियों का इस अधिकरण की अनुमति के बिना परिपक्वता के पूर्व भुगतान ना किया जावे।</p> <p>आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख में संलग्न की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जावे।</p> <p>(पी.सी. आर्य)</p> <p>रादस्य 20-02-17</p> <p>हि. नोटर वर्पटना जावा पाधिकरण</p> <p>गोहद जिला-भिण्ड (म.प्र.)</p>	